

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड

(आप.प्रक.क्रमांक :- 88 / 2016)

(संस्थित दिनांक :- 04 / 03 / 2016)

म.प्र. राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मौ।

जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन।

// विरुद्ध //

01. अट्टा उर्फ रामरतन यादव पुत्र ग्याप्रसाद यादव, उम्र 27 वर्ष।
निवासी :- ग्राम लौहारपुरा, थाना-मौ, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)।
..... अभियुक्त।

// निर्णय //

(आज दिनांक : 06 / 02 / 2018 को घोषित)

01. आरोपी अट्टा उर्फ रामरतन पर धारा :- 25 (1-B(a)) आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक :- 29 / 12 / 2015 को शाम लगभग 06:35 बजे शासकीय चिकित्सालय के मुख्य द्वार के सामने गोहद रोड़ मौ में, उसके आधिपत्य में अवैध रूप से एक कट्टा 315 बोर तथा एक जिंदा कारतूस 315 बोर बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के पास रखा।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 29 / 12 / 2015 को थाना मौ के थाना प्रभारी शेर सिंह को गश्त के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि लुहारपुरा का अट्टा यादव शासकीय अस्पताल के सामने कट्टा लिए वारदात करने की नियत से खड़ा है, सूचना की तश्दीक हेतु मुखबिर के बताये स्थान पर पहुँचा तो अट्टा पुलिस को देखकर भागा, तभी 20-25 कदम भागने पर आरक्षक राजेश एवं श्याम ने आरोपी को पकड़ लिया तभी अट्टा ने कमर में लगाये कट्टा को दाहिने हाथ से निकालने की कोशिश की, तो उसने कट्टा को अपने कब्जे में कर लिया, जिसकी बैरल खोलकर देखा तो उसमें एक

जिंदा कारतूस 315 बोर का लगा मिला। आरोपी से उसका नाम-पता पूछने पर उसने अपना नाम अट्टा उर्फ रामरतन यादव पुत्र ग्याप्रसाद यादव, उम्र 25 वर्ष, निवासी :- ग्राम लौहारपुरा, का होना बताया। आरोपी से उक्त आयुध रखने का लाईसेंस चाहा, तो उसने ना होना व्यक्त किया। आरोपी का उक्त कृत्य धारा 25 आयुध अधिनियम में दण्डनीय होने से आरोपी से एक 315 बोर का कट्टा एवं एक 315 बोर का जिंदा कारतूस साक्षीगण के समक्ष जब्त कर जब्ती पत्रक बनाया गया तथा आरोपी अट्टा उर्फ रामरतन को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। तत्पश्चात् मय माल-मुल्जिम थाना वापस आकर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 298/15 अन्तर्गत धारा 25/27 आयुध अधिनियम पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। प्रकरण की विवेचना के दौरान साक्षी विजय हरी एवं आरक्षक राधामोहन के कथन लेखबद्ध किये गये। जब्तशुदा कट्टा एवं कारतूस का परीक्षण कराया गया, जिला दण्डाधिकारी भिण्ड से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई एवं विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्त अट्टा उर्फ रामरतन के विरुद्ध धारा 25 (1-B(a)) आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दंडनीय अपराध का आरोप निर्मित कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। उसका अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए स्वयं को निर्दोष एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपी अट्टा उर्फ रामरतन ने दिनांक :- 29/12/2015 को शाम लगभग 06:35 बजे शासकीय चिकित्सालय के मुख्य द्वार के सामने गोहद रोड़ मौ में, उसके आधिपत्य में अवैध रूप से एक कट्टा 315 बोर तथा एक जिंदा कारतूस 315 बोर बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के पास रखा?

02. अंतिम निष्कर्ष ?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्षविचारणीय बिन्दु क्रमांक - 01

07. अभियोजन साक्षी शेर सिंह अ.सा.06 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 29/12/2015 को थाना मौ में थाना प्रभारी के पद पद पदस्थ था। साक्षी आगे कहता है कि उक्त दिनांक को उसे मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि आरोपी अट्टा शासकीय अस्पताल के सामने कट्टा लिये घटना घटित करने की नियत से खड़ा है, सूचना की तशदीक हेतु मुखबिर के बताये स्थान पर हमराही आरक्षक राजेश एवं श्याम गुर्जर के साथ शासकीय अस्पताल के सामने पहुँचा, तो पुलिस को देखकर आरोपी अट्टा भागने लगा, जिसे आरक्षक राजेश एवं श्याम ने पकड़ लिया। साक्षी आगे कहता है कि जैसे ही आरोपी अट्टा को पकड़ा तो उसने कमर में से उसके दाहिने हाथ से कट्टा निकाला, तो उसने आरोपी के हाथ से कट्टा को अपने कब्जे में ले लिया और कट्टे की बैरल को खोलकर देखा तो उसमें एक 315 बोर का जिंदा कारतूस लगा हुआ मिला। आरोपी से उक्त आयुध के संबंध में लाईसेंस पूछे जाने पर उसने ना होना व्यक्त किया। आरोपी से उसका नाम एवं पता पूछने पर उसने अपना नाम अट्टा उर्फ रामवरन पुत्र ग्याप्रसाद यादव, निवासी लौहारपुरा का होना बताया। साक्षी आगे कहता है कि मौके पर साक्षीगण के समक्ष कट्टा एवं कारतूस को जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.01 बनाया, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी को साक्षीगण के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र. पी.02 बनाया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् मय माल मुल्जिम थाना वापस आकर रोजनामचा सान्हा क्रमांक 1170 पर उसके द्वारा वापसी दर्ज की गई थी, उक्त सान्हा की प्रति प्र.पी.06 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि तत्पश्चात् आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 298/2015 अन्तर्गत धारा 25/27 आयुध अधिनियम की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.07 लेखबद्ध की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् अग्रिम विवेचना हेतु केस डायरी एएसआई जानकी प्रसाद को सुपुर्द कर दी थी। साक्षी आगे कहता है कि न्यायालय में प्रस्तुत कट्टा एवं कारतूस वही कट्टा एवं कारतूस है, जो उसके द्वारा आरोपी से घटनास्थल से जब्त किये गये थे, जब्तशुदा कट्टा आर्टिकल ए-01 एवं कारतूस आर्टिकल ए-02 है।

08. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में निरीक्षक शेर सिंह अ.सा.06 ने

आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि जिस समय उसने आरोपी को गिरफ्तार किया था, उस समय आरोपी के पास कोई कट्टा नहीं था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि आरोपी को उसकी माँ की त्रयोदशी का सामान कय करते समय पकड़ा गया था। आरोपी अधिवक्ता द्वारा दिये गये इन सुझावों से यह प्रकट होता है कि वह निरीक्षक शेर सिंह अ.सा.06 द्वारा आरोपित घटना के समय गिरफ्तार किये जाने के तथ्य को स्वीकार करते हैं। आरोपी की ओर से इस वावत् कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई कि निरीक्षक शेर सिंह अ.सा.06 द्वारा गिरफ्तार किये जाते समय वह अपनी माँ की त्रयोदशी के लिए सामान कय कर रहा था और उस समय उसके पास कोई आयुध नहीं था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में निरीक्षक शेर सिंह अ.सा.06 ने यह दर्शित किया है कि उसके द्वारा आरोपित घटना के संबंध में रोजनाचा सान्हा में रवानगी वापसी अंकित की गई थी। साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जब्ती का साक्षी विजय हरी अ.सा.02 वह व्यक्ति है, जिसकी फरियाद अर्थात् आवेदन पर आरोपी रामरतन उर्फ अट्टा के विरुद्ध लूट का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। साक्षी ने स्वतः कहा है कि उक्त प्रकरण में आरोपी अट्टा को न्यायालय से सजा हुई थी। उल्लेखनीय है कि यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाये कि जब्ती का साक्षी विजयहरी अ.सा.02 लूट के प्रकरण का फरियादी होने के कारण आरोपी रामरतन उर्फ अट्टा से बैरभाव रखता है, तो उसे आरोपी के विरुद्ध हस्तगत प्रकरण में ऐसे कथन करने चाहिए थे, जो आरोपी को दोषसिद्ध कराने की प्रवृत्ति रखते हो। जबकि उक्त साक्षी विजय हरी अ.सा.02 ने प्रकरण में अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। इस प्रकार मात्र किसी अन्य प्रकरण में आरोपी अट्टा के विरुद्ध जब्ती एवं गिरफ्तारी के साक्षी विजय हरी अ.सा.02 के फरियादी होने का कोई दुष्प्रभाव हस्तगत प्रकरण की सत्यता पर नहीं पड़ता है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में निरीक्षक शेर सिंह अ.सा.06 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसके द्वारा आरोपी के विरुद्ध असत्य रूप से हस्तगत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इस प्रकार शेर सिंह अ.सा.06 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य आरोपित अपराध के संबंध में प्रति-परीक्षण उपरांत भी पूर्णतः अखण्डित रहा है। शेर सिंह अ.सा.06 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि जब्ती पत्रक प्र.पी.01, गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.07 के तथ्यों से भी हो रही है।

09. अभियोजन साक्षी राधामोहन अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन

अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक :- 29/12/2015 को थाना मौ में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को टी.आई.साहब को जरिये मुखबिर कस्बा गप्त के दौरान सूचना मिली कि अट्टा यादव अस्पताल के सामने वारदात करने की नियत से अस्पताल के सामने खड़ा है। साक्षी आगे कहता है कि सूचना की तश्दीक हेतु सीएचसी मौ के सामने पहुँचा, तो अट्टा पुलिस को देखकर भागा, जिसे आरक्षक राजेश एवं श्याम ने पकड़ लिया। आरोपी अट्टा ने कमर से कट्टा दाहिने हाथ से निकालने की कोशिश की, तो टी.आई.साहब ने कट्टा अपने कब्जे में ले लिया एवं खोलकर देखा तो उसमें एक 315 बोर का जिंदा राउण्ड मिला। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम अट्टा उर्फ रामरतन, निवासी :- लौहारपुरा का होना बताया एवं कट्टा एवं कारतूस के संबंध में लाईसेंस वावत् पूछे जाने पर, लाईसेंस ना होना व्यक्त किया। टी.आई.साहब ने मौके पर कट्टा एवं कारतूस जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.01 बनाया, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था।

10. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में आरक्षक राधामोहन अ.सा.02 ने यह दर्शित किया है कि वह दरोगा जी के साथ नहीं निकला था, वह पहले से ही अस्पताल मौ में मौजूद था, क्योंकि वह अस्पताल में किसी अन्य प्रकरण के काम से गया था। साक्षी आगे कहता है कि वह अस्पताल में शाम के 07:00 बजे तक रहा था और उसके बाद पौने आठ बजे थाना वापस पहुँचा था। जब वह अस्पताल से थाने पहुँचा था, उस समय आरोपी थाने पर नहीं मिला था। उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.07 में थाना वापस आने का समय और अपराध की थाने पर सूचना प्राप्त होने का समय 20:03 अर्थात् शाम 08:03 बजे का होना लेखबद्ध किया गया है और साक्षी राधामोहन अ.सा.01 ने थाना वापस आने का समय पौने आठ बजे अर्थात् 07:45 शाम का होना दर्शित किया है और उसके बाद वह अपने कमरे पर चला गया था, यह दर्शित किया है, जिससे यह दर्शित होता है कि शाम 08:03 पर आरोपी को लेकर पुलिस बल के थाना वापस पहुँचने के पूर्व ही आरक्षक राधामोहन अ.सा.01 थाना वापस आकर अपने कमरे पर चला गया था। इसलिए उसे आरोपी थाना पर मिलने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार आरोपित घटना के संबंध में आरक्षक राधामोहन अ.सा.01 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरांत भी पूर्णतः अखण्डित रहा है और उसके उक्त न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से जब्ती पत्रक प्र.पी.01, गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 के तथ्यों एवं निरीक्षक

शेर सिंह अ.सा.06 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि होती है।

11. अभियोजन साक्षी सुनील बौहरे अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक :- 31/12/2015 को पुलिस लाईन भिण्ड में आरक्षक आरमोरर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना मौ के अपराध क्रमांक 298/2015 अन्तर्गत धारा 25/27 आर्म्स एक्ट में एक जब्तशुदा 315 बोर का देशी कट्टा एवं एक 315 बोर के जिंदा कारतूस की जांच उसके द्वारा की गई थी। साक्षी आगे कहता है कि जांच के दौरान कट्टा का एक्शन चैक किया, एक्शन सही पाया गया। कट्टा चालू हालत में था, जिससे फायर किया जा सकता था। एक 315 बोर का राउण्ड चालू हालत में था, जिससे फायर किया जा सकता था, जिसकी पैदी पर 08 एम.एम.के.एफ लिखा था। साक्षी आगे कहता है कि थाना मौ से आरक्षक क्रमांक 501 रामराज सिंह के द्वारा थाना प्रभारी की तहरीर पंचनामा एवं एफआईआर, जब्ती की नकल साथ में प्राप्त हुई थी। कट्टा एवं एक जिंदा कारतूस एक साथ एक सफेद कपड़ा में सीलबंद जांच हेतु प्राप्त हुये, बाद जाँच कर नमूना सील लगाकर उसी कपड़ा में सीलबंद कर पुनः थाना वापस किया गया, इस वावत् उसके द्वारा दी गई आयुध जांच रिपोर्ट प्र.पी. 04 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। सुनील बौहरे अ.सा.03 के उक्त न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि उसके द्वारा दी गई जाँच रिपोर्ट प्र. पी.04 के तथ्यों से भी हो रही है। प्रति परीक्षण उपरांत भी सुनील बौहरे अ.सा.03 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तात्त्विक रूप से अखण्डित रहा है। सुनील बौहरे अ.सा. 03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि आरोपी से जब्तशुदा 315 बोर का कट्टा चालू हालत में था, जिससे फायर किया जा सकता था और आरोपी से जब्तशुदा 315 बोर का जिंदा कारतूस भी फायर किये जाने योग्य था।

12. अभियोजन साक्षी महेन्द्र भदौरिया अ.सा.05 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 16/02/2016 को जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के कार्यालय में आर्म्स लिपिक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को पुलिस अधीक्षक भिण्ड के पत्र क्रमांक 15/2016, दिनांक : 05/02/2016 द्वारा थाना मौ के अपराध क्रमांक 298/2015 से संबंधित केस डायरी एवं मोहरबंद आयुध आरक्षक क्रमांक 501 रामराज द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर अवलोकन पश्चात् जिला दण्डाधिकारी श्री इलैया राजा टी द्वारा अभियुक्त अट्टा उर्फ रामरतन पुत्र ग्याप्रसाद जाटव, निवासी : ग्राम लौहारपुरा के कब्जे से एक कट्टा 315 बोर एवं एक जिंदा कारतूस 315 बोर के अवैध रूप से पाये जाने के कारण अभियोजन

चलाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त अभियोजन स्वीकृति प्र.पी.05 है, जिसके ए से ए भागों पर जिला दण्डाधिकारी श्री इलैया राजा टी के हस्ताक्षर हैं एवं बी से बी पर उसके लघु हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि उसने जिला दण्डाधिकारी इलैया राजा टी के अधीनस्थ के रूप में लम्बे समय तक कार्य किया है, इसलिए वह उनके हस्तलेख एवं हस्ताक्षर को पहचानता है। साक्षी महेन्द्र भदौरिया अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि अभियोजन स्वीकृति प्र.पी.05 के तथ्यों से भी हो रही है। साक्षी महेन्द्र भदौरिया अ.सा.05 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरांत भी तत्त्विक रूप से अखण्डित रहा है। उक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि आरोपी अट्टा उर्फ रामरतन के विरुद्ध अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति विधिवत् प्रदान की गई थी।

13. अभियोजन साक्षी जानकी प्रसाद जाटव अ.सा.04 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक :- 30/12/2015 को थाना मौ में एएसआई के पद पर पदस्थ था, उक्त दिनांक को उसे थाना मौ के अपराध क्रमांक 298/2015 अन्तर्गत धारा 25/27 आयुध अधिनियम की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही साक्षी विजय हरी एवं आरक्षक राधामोहन के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे, जिसमें अपनी ओर से कुछ घटाया-बढ़ाया नहीं था। साक्षी आगे कहता है कि जब्तशुदा आयुध 315 बोर का कट्टा एवं एक 315 बोर के जिंदा कारतूस को जांच हेतु आयुध परीक्षक के पास भेजा था। तत्पश्चात् केस डायरी मय कट्टा एवं कारतूस जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को प्रेषित कर विधिवत् अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की थी, तत्पश्चात् विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में जानकी प्रसाद अ.सा.04 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने साक्षीगण हरी एवं राधामोहन के कथन उसने मन मुताबिक लेखबद्ध कर लिये थे। साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से भी इंकार किया है कि वह न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है। इस प्रकार प्रति-परीक्षण उपरांत भी साक्षी जानकी प्रसाद जाटव अ.सा.04 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तात्त्विक रूप से अखण्डित रहा है, जिससे अभियोजन कथा की पुष्टि होती है।

14. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी अट्टा उर्फ

रामरतन ने दिनांक :- 29/12/2015 को शाम लगभग 06:35 बजे शासकीय चिकित्सालय के मुख्य द्वार के सामने गोहद रोड़ मौ में, उसके आधिपत्य में अवैध रूप से एक कट्टा 315 बोर तथा एक जिंदा कारतूस 315 बोर बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के पास रखा।

अंतिम निष्कर्ष

15. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपी कट्टा उर्फ रामरतन के विरुद्ध धारा 25 (1-B(a)) आयुध अधिनियम के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। फलतः आरोपी अट्टा उर्फ रामरतन को आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-B(a)) से दोषसिद्ध किया जाता है।

16. आरोपी अट्टा उर्फ रामरतन को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ देने पर विचार किया गया। परन्तु आरोपी द्वारा किये गये, कृत्य से समाज में अवैध हथियार धारण करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, इसलिए आरोपी को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

17. निर्णय दण्ड के प्रश्न पर आरोपी के अधिवक्ता को सुने जाने के लिए कुछ समय के लिए स्थगित किया गया।

जे.एम.एफ.सी गोहद

पुनश्च:-

18. आरोपी अट्टा उर्फ रामरतन के विद्वान अधिवक्ता श्री बी.एस.यादव को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपी अधिवक्ता श्री यादव का कहना है कि आरोपी कम पढ़ा-लिखा एवं गरीब व्यक्ति है। वह अपने परिवार का एक मात्र कमाने वाला व्यक्ति है। इसलिए उसे न्यूनतम दण्ड से दण्डित किया जाये। आरोपी अधिवक्ता के तर्क सदभाविक प्रतीत न होने के कारण अस्वीकार किये गये। फलतः आरोपी अट्टा उर्फ रामरतन को धारा 25 (1-B(a)) आयुध अधिनियम के अपराध के लिए **02 वर्ष** के सश्रम कारावास तथा **300/-** रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। आरोपी अट्टा उर्फ रामरतन द्वारा अर्थदण्ड न चुकाये जाने की दशा में उसे 05 दिन का सश्रम कारावास, मूल कारावास के दण्डादेश से पृथक भुगताये जाये।

19. आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है। आरोपी को अभिरक्षा में लेकर कारावास का दण्ड भुगतने के लिए सजा वारंट के माध्यम से जिला जेल भिण्ड भेजा जाये।

20. आरोपी द्वारा अन्वेषण या विचारण के दौरान अभिरक्षा में रह कर गुजारी गई, अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे और उक्त अवधि उसकी मूल कारावास के दण्डादेश की अवधि में से कम की जावे।

21. प्रकरण में आरोपी अट्टा उर्फ रामरतन से जब्तशुदा कट्टा एवं जिंदा कारतूस अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को प्रेषित कर व्ययनित किये जायें। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के व्ययन संबंधी आदेश का पालन किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद